...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
11/019	136 L.R. Act	[illegible]	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कालूराम	बनाम	सरकार

वकील :- अखिलेश शर्मा एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
18/3/019	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act विरुद्ध अप्रार्थीगण के, इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सहित का अवलोकन किया, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 15/04/019 को पेश हो।	
15/4/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 21/5/19 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
21/5/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 26/6/019 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
26/6/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 31/7/019 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
31/7/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 11/9/19 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ

शासन गाँवों के संग अभियान–2021

/021

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 शिविर ग्राम गोलबड़ा नोन्धा पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 L.R.Act के तहत प्रस्तुत न्यायालय में पेश किया था जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में केदारलाल पुत्र मथुरा दर्ज हो गया जिसे शुद्ध व सही नाम कालूराम पुत्र मथुरालाल दर्ज कराने का निवेदन किया। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार छबड़ा से ली गई।

तहसीलदार छबड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भावरपुरा तहसील छबड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2076 – 2079 के खाता संख्या 42, 54 में प्रार्थी का नाम केदारलाल पुत्र मथुरालाल दर्ज है जो अशुद्ध नाम है सही नाम नहीं है। अतः प्रार्थी का नाम केदारलाल के स्थान पर कालूराम उर्फ केदारलाल पुत्र मथुरालाल करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज, राशनकार्ड आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि का अवलोकन करने पर प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र मथुरालाल दर्ज होना पाया जाता है।

अतः तहसीलदार छबड़ा की अनुशंषा के आधार पर एवं पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम भावरपुरा की भूमि खाता संख्या 42 व 54 में दर्ज प्रार्थी का नाम केदारलाल पुत्र मथुरा के स्थान पर कालूराम उर्फ केदारलाल पुत्र मथुरालाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है। तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। आदेश प्रपत्र से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

राजस्थान सरकार

"प्रशासन गाँव के संग अभियान–2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज0)

–: आदेश :–

प्रार्थी के ''खाता दुरुस्ती'' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भीलवाड़ा नीचा व भू.अ.नि. [illegible] की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~बारां~~ छबड़ा/~~नायब तहसीलदार बारां~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कादरपुरा तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 42, 54 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कादरपुरा	42 54	केदारलाल पुत्र मथुरा	कालूराम उर्फ केदारलाल पुत्र मथुरालाल उर्फ मथुरा

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला–बारां (मुहर)

(हस्ताक्षर)
(मनीष तिवारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/कैम्प भीलवाड़ा नीचा/178 दिनांक 10.11.2021

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार छबड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कालूराम उर्फ केदारलाल पुत्र मथुरालाल कादरपुरा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)